संवादसेतु

मीडिया का आत्मावलोकन

अंक 24 | पृष्ठ 22 | अक्तूबर, 2019 | नई दिल्ली

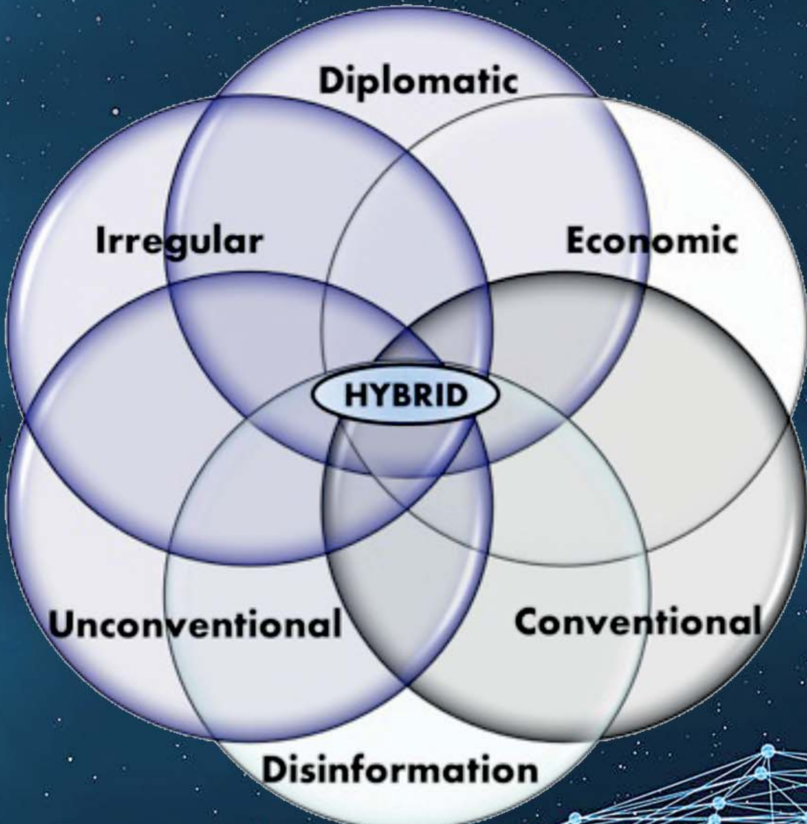

मीडिया का निर्णायक मोर्चा

संपादकीय

संपादक

आशुतोष भटनागर

कार्यकारी-संपादक

डॉ. जयप्रकाश सिंह

उप-संपादक

सूर्य प्रकाश

रविंद्र सिंह भड़वाल

ई-मेल :

samvadsetu2011@gmail.com

फेसबुक पेज

@samvadsetu2011

अनुरोध

संवादसेतु की इस पहल पर आपकी टिप्पणी एवं सुझावों का स्वागत है। अपनी टिप्पणी एवं सुझाव कृपया उपरोक्त ई-मेल पर अवश्य भेजे।

'संवादसेतु' मीडिया सरोकारों से जुड़े पत्रकारों की रचनात्मक पहल है। 'संवादसेतु' अपने लेखकों तथा विषय की स्पष्टता के लिए इंटरनेट से ली गई सामग्री के रचनाकारों का भी आभार व्यक्त करता है। इसमें सभी पद अवैतनिक हैं।

अनुक्रम

आवरण कथा

मीडिया का निर्णायक मोर्चा

(पृष्ठ 4-5-6)

कला संवाद

सौन्दर्यः भोगभाव का मन (भाग-2)

(पृष्ठ 7-8)

जम्मू-कश्मीर

समाप्त हो गए डराने-धमकाने के विशेषाधिकार

(पृष्ठ 9-10-11)

लोक संचार

जब मीडिया न था, तब अल्हैत देते थे ज्ञान

(पृष्ठ 12-13-14)

टर्म

मीडिया नार्सिसिज्म

(पृष्ठ 15-16)

सैटेलाइट-आईज

विज्ञापन के सहारे पाकिस्तान

(पृष्ठ 17-18-19)

चलते-चलते

(पृष्ठ 20-21-22)

संपादकीय

अनुच्छेद 370 व 35ए हटने के बाद देश को सम्बोधित करते हुए पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया के जरिए जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह दुनिया भर की मीडिया में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। इसके बाद अमेरिकी अखबारों में वह लेख लिखते नजर आए। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी अखबारों में जम्मू-कश्मीर को लेकर विज्ञापन भी दिए गए...

अनुच्छेद 370 और 35ए के निष्प्रभावी होने के बाद भारत-पाक एक अघोषित युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। अराजक आंतरिक स्थिति, कमजोर सैन्य क्षमता और कूटनीतिक विफलता के कारण पाक प्रत्यक्ष युद्ध में उतरने का हौसला नहीं जुटा पा रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना को खुली छूट देकर भारत ने उसके इस हथियार को भी पंगु बना दिया है। लेकिन इन सबके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं मोर्चा खोलना उसकी बाध्यता है। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर को लेकर स्वप्न दिखाए गए हैं। भारत ने उस स्वप्न को एक झटके में तोड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तान कुछ करे या न करे, कुछ करता हुआ दिखना उसकी बाध्यता है। पाकिस्तान सेना की तो साख ही दांव पर लग गई है। उसकी प्रासंगिकता और प्रभाव का आधार ही जम्मू-कश्मीर है। अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद पाक सेना की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के सैन्य और सत्ता प्रतिष्ठान को कुछ करते हुए दिखना बहुत जरूरी हो गया है।

पाक रणनीति का विश्लेषण यह बताता है कि उन्होंने कुछ करने और करते हुए दिखाने के लिए मीडिया का मोर्चा चुना है। अनुच्छेद 370 व 35ए हटने के बाद देश को सम्बोधित करते हुए पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया के जरिए जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह दुनिया भर की मीडिया में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। इसके बाद अमेरिकी अखबारों में वह लेख लिखते नजर आए। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी अखबारों में जम्मू-कश्मीर को लेकर विज्ञापन भी दिए गए।

इसी बीच पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की ने संयुक्त रूप से एक अंग्रेजी इस्लामिक चैनल चलाने की घोषणा की। यह पांथिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चलाया जाने वाला पहला बहुराष्ट्रीय प्रयास होगा। इस चैनल की घोषणा, इस बात की तरफ संकेत करती है कि पाकिस्तान, मीडिया के मोर्चे को लेकर कितना व्यग्र है। भारत इस मोर्चे पर स्वयं को कैसे तैनात करता है और पाकिस्तान का उत्तर कैसे देता है, यह देखने वाली बात होगी।

कला संवाद का स्तम्भ अब एक स्थायी पहचान के रूप में 'संवादसेतु' से जुड़ चुका है। इस अंक से 'लोक संचार' के नाम से एक स्थायी स्तम्भ की शुरुआत की गई है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान दौर में लोक संचार की विधा का भारतीय जनमानस पर असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

यू-ट्यूब पर लोक संचार और आधुनिक माध्यमों का एक अनूठा संयोग देखने को मिल रहा है। इसलिए भारतीय मर्म को छूने वाली, उसको गढ़ने वाली, लोकसंचार-विधाओं का आकलन करना आवश्यक हो जाता है।

अन्य स्थायी स्तम्भों में जम्मू-कश्मीर के नए घटनाक्रम और मीडिया के अंतर संबंधों को खंगालने की कोशिश की गई है। हायब्रिड वारफेयर के दौर में भारत-पाक संबंधों के बीच किस कदर मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है, यह उसी के आकलन का प्रयास है।

इसमें कितनी सफलता मिली है, इसका आकलन तो सुधी पाठक ही करेंगे।

दीपावली की असीम शुभकामनाओं सहित

आपका संपादक

आशुतोष भटनागर

मीडिया का निर्णायक मोर्चा

मीडिया की दृष्टि से यह इसलिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन जाता है क्योंकि पांथिक उद्देश्यों को लेकर चैनल चलाने का संभवतः पहला बहुराष्ट्रीय प्रयास है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयिप एर्दोगेन, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के बीच इस चैनल के प्रारूप की चर्चा हुई...

HD
Peace TV
NETWORK
The Solution for Humanity

❑ **डॉ. जयप्रकाश सिंह**

संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74 वीं बैठक में भाग लेने गए इमरान खान की अमेरिकी यात्रा ने मीडिया के मोर्चे पर भी एक नई खबर पैदा की। बैठक से इतर पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने संयुक्त रूप से एक अंग्रेजी इस्लामिक चैनल लांच करने की घोषणा की। चैनल का उद्देश्य मुस्लिम समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और आतंकवादी गतिविधियों के कारण बढ़ते इस्लामो फोबिया को रोकना है।

मीडिया की दृष्टि से यह इसलिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन जाता है क्योंकि पांथिक उद्देश्यों को लेकर चैनल चलाने का संभवत: पहला बहुराष्ट्रीय प्रयास है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयिप एर्दोगेन, पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और मलेशिया के प्रधाानमंत्री महातिर मोहम्मद के बीच इस चैनल के प्रारूप की चर्चा हुई। टुकड़ों-टुकड़ों में देशों की तरफ से चैनल के उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में जानकारी भी दी गई। महातिर मोहम्मद ने चैनल की जरूरत को रेखांकित करते हुए दलील दी कि इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर बहुत सारी रिपोर्टें अनुचित होती हैं। और वे इस्लाम को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करती। मसलन ये मुस्लिमों को आंतकी की तरह प्रस्तुत करती हैं और दुनिया इस सच को स्वीकार करती है। वहीं इमरान खान के अनुसार 'हम बीबीसी की तर्ज पर एक चैनल संचालित करेंगे, जो मुस्लिम मुद्दों को उठाने के अतिरिक्त इस्लामो फोबिया से भी लड़ेगा।

इस कदम का संबंध इस्लामी दुनिया की आंतरिक राजनीति से तो है ही, भारत-पाक संबंध भी इसका एक आयाम है। ऐसा लगता है कि इस्लामी दुनिया के देश अग्रणी देश इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अब उम्मा का नेतृत्व वही देश कर सकेगा, जिसके पास मीडिया की ताकत होगी। यह भी कि सभ्यतागत संघर्ष के केन्द्र में मीडिया की केन्द्रीय भूमिका होगी।

इसी कारण जब कतर में अल-जजीरा की शुरुआत हुई तो सबसे अधिक परेशानी सऊदी अरब को हुई। खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानने वाले सऊदी अरब ने अल-जजीरा को अपने अपने वर्चस्व को दी जाने वाली चुनौती के रूप में लिया। कुछ वर्ष पूर्व जब दोनों देशों के

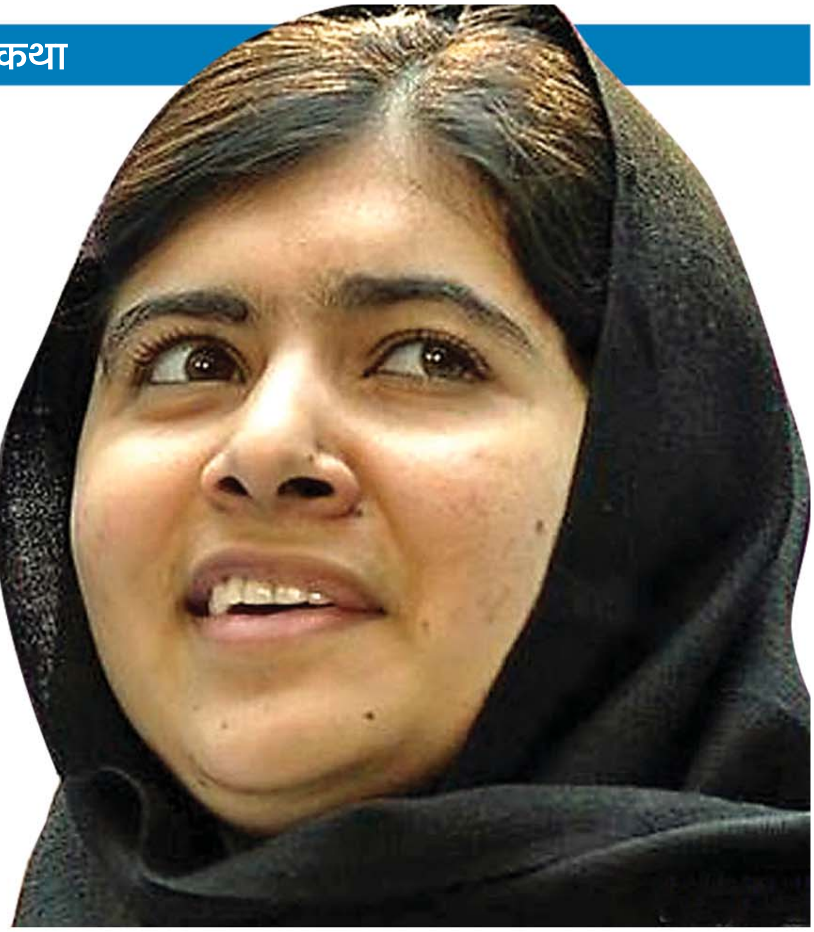

बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई तो सऊदी अरब की टीस खुलकर सामने आई। सऊदी अरब ने सामान्य-स्थिति बहाल करने के लिए जो शर्तें रखी थीं, उसमें से एक शर्त अल-जजीरा को बंद करने की भी थी। शांति बहाली के लिए चैनल बंद करने की यह अपने किस्म की पहली मांग थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर इस्लामी दुनिया के अभिकेन्द्र को अरब देशों से बाहर लाना चाहते हैं। तुर्की लम्बे समय तक खिलाफत का सर्वेसर्वा रहा है, एर्दोगेन के राष्ट्रपति बनने के बाद वह फिर से अपनी पुरानी हैसियत बहाल करना चाहिता है।

मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान के मन में भी इस्लामी दुनिया का सिरमौर बनने की ख्वाहिश शुरू से ही रही है, इसीलिए उसने अपने नाभिकीय हथियारों को इस्लामिक-बम के रूप को प्रचारित-प्रसारित किया। लेकिन इस बहुराष्ट्रीय चैनल में फिलहाल पाकिस्तानी सहभागिता का बड़ा कारण जम्मू-कश्मीर है।

अनुच्छेद 370 और 35-ए के निष्प्रभावी बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर भारत से बुरी तरह पिछड़ गया है। उसे कहीं भी आशा की किरण नहीं नजर नहीं आ रही है। जम्मू-कश्मीर के संदर्भों में उम्मा की अवधारणा बुरी तरह से बिखर गई है। सऊदी अरब ने इसे द्विपक्षीय मसला बताते हुए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से यह स्पष्ट जवाब आया कि जम्मू-कश्मीर का मसला उम्मा का नहीं बल्कि एक द्विपक्षीय मसला है। ईरान ने भी पाकिस्तान के लिए कोई आशादायी बयान नहीं दिया।

पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वह अमेरिका-तालिबान के बीच चल रही बातचीत में अपनी अहम भूमिका का उपयोग अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए करेगा और भारत को दबाव में लाने में सफल होगा। लेकिन बातचीत टूट जाने के कारण अमेरिका भी पूरी तरह भारत के साथ आ गया। चीन की प्रक्रिया बहुत सधी हुई और संयत थी।

पाकिस्तान आंतरिक मोर्चे पर बुरी तरह घिरा हुआ है। अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार विरोधी आंदोलनों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। सैन्य मोर्चे पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्षमता का अंतराल इतना बढ़ चुका है कि वह चाहकर भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर सकता।

इन तमाम विवशताओं के बावजूद कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करने को उकसाते हैं। पाकिस्तान अपने नागरिकों को पिछले 70 सालों से 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' का स्वप्न बेचता रहा है। पाकिस्तान के अब तक एकजुट बने रहने का एक कारण यह स्वप्न भी थी। अब भारत ने उससे उसका स्वप्न ही छीन लिया है। इसके कारण वहां पर बिखराब की स्थिति पैदा हो सकती है, इससे बचने के लिए पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर का राग किसी न किसी रूप में अलापता रहेगा। पाकिस्तान को यह भी लगता

जम्मू-कश्मीर की बदली हुई परिस्थितियों के बीच इमरान खान सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि वह कश्मीर के लिए दीर्घकालिक लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया के जरिए लड़ेंगे। जम्मू-कश्मीर के मसले पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह मुद्दा पूरी दुनिया की मीडिया में उठाएंगे। इसके बाद अमेरिकी अखबारों में जिस तरह से उनके लेख प्रकाशित हुए, कश्मीर को लेकर विज्ञापन आए, उससे उनकी रणनीति जगजाहिर हो जाती है...

है कि भारत में अगले कुछ वर्षों तक ही हस्तक्षेप करने संभावनाएं उपलब्ध रहेंगी। भारत जिस तेजी से अपने आंतरिक अवरोधों को पार कर रहा है, और एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्थिति के रूप में स्थापित हो रहा है, उसके कारण कुछ वर्षों बाद भारत में हस्तक्षेप करना उसके लिए असंभव हो जाएगा।

अन्य मोर्चों पर बुरी तरह पिछड़ने और कुछ न कुछ करने की बाध्यता के कारण अब पाकिस्तान की कोशिश मीडिया के जरिए भारत के साथ संघर्ष करने की है। जम्मू-कश्मीर की बदली हुई परिस्थितियों के बीच इमरान खान सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि वह कश्मीर के लिए दीर्घकालिक लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया के जरिए लड़ेंगे। जम्मू-कश्मीर के मसले पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह यह मुद्दा पूरी दुनिया की मीडिया में उठाएंगे। इसके बाद अमेरिकी अखबारों में जिस तरह से उनके लेख प्रकाशित हुए, कश्मीर को लेकर विज्ञापन आए, उससे उनकी रणनीति जगजाहिर हो जाती है।

मीडिया के मोर्चे पर पाकिस्तान को कुछ आशाएं बंधी हैं तो उसके कुछ कारण हैं। पाकिस्तान को लगता है कि वैश्विक स्तर पर और भारत के अंदर भी साम्यवाद की तरफझुकाव रखने वाली मीडिया से उसे काफी समर्थन मिल सकता है। भारतीय मीडिया का एक धड़ा हमेशा से पाक का पक्षधर रहा है। गुलाम नबी फई के साथ कई पत्रकारों के काम करने, पाक के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित द्वारा खुले रूप से भारतीय पत्रकारों के अपने हित के लिए उपयोग करने संबंधी बयान इसके उदाहरण भर हैं।

इस परिदृश्य में एक बहुराष्ट्रीय अंग्रेजी चैनल मीडिया के मोर्चे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई को नए स्तर पर ले जाने जैसा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसात्मक उद्देश्यों और सीमित क्षमता के बावजूद पाकिस्तान मीडिया की ताकत का अपने हितों के लिए उपयोग करना चाहता है।

वसुधैव कुटुम्बकम की व्यापक सोच और वृहत्तर संसाधनों वाला भारत मीडिया-क्षेत्र में ग्लोबर वेंचर खड़ा करने की तैयारी कब करेगा, यह देखने वाली बात होगी। संचारीय सक्षमता का निर्माण समय और सभ्यता दोनों के लिए सबसे बड़ी मांग है, भारत इस मांग को लम्बे समय तक टाल नहीं सकता।

सौन्दर्य: भोगभाव का मन

❑ त्रिवेणी तिवारी

भाग-2

'बणी-ठणी'। अठाहरवीं शती में निहालचंद की नायिका रूप में चित्रित एक चश्म स्त्री का सहज सौन्दर्य पूरित है। इसकी धनुषाकार भौहें, कमलवत नयन झुके हुए, पतले चितुक बायें हाथ में कमल और दाहिना हाथ घूंघट संभालते हुए। कुछ लोग इसे राधा भी मानते हैं। हमारे यहां प्रेम में राधा-कृष्ण ही सर्वोपरि है। यही मांसलता नहीं है, चेहरे का यथार्थ यंकन भी वही है, किन्तु भाव की उच्चतम अभिव्यक्ति है। इसमें रेखा का जादू है। रेखा के सशक्त अंकन में सब सहज ही व्यक्त हो जाता है। भौंह, आंखें, अंगुलियां और बालों में यथार्थ से हटकर जिस भंगिमा की सृष्टि की गई है वह लावण्य योजना की उच्च सीमा है। प्रेम में आंखों की सबसे विह्वल दशा जितनी हो सकती है, उसकी पराकाष्ठा है 'बणी-ठणी' में। हमें मालूम है ये झुके नयन, लज्जा से उठेंगे नहीं, लेकिन कई बार तकते हैं शायद 'बणी-ठणी' एक बार हमें देख ले।

हमारे यहां प्रेम में राधा-कृष्ण ही सर्वोपरि है। यही मांसलता नहीं है, चेहरे का यथार्थ यंकन भी वही है, किन्तु भाव की उच्चतम अभिव्यक्ति है। इसमें रेखा का जादू है। रेखा के सशक्त अंकन में सब सहज ही व्यक्त हो जाता है। भौंह, आंखें, अंगुलियां और बालों में यथार्थ से हटकर जिस भंगिमा की सृष्टि की गई है वह लावण्य योजना की उच्च सीमा है...

दोनों अपने-अपने समय की अद्वितीय कृतियां हैं। एक यूरोप एक भारत। अपने-अपने देश-काल, संस्कृति, जीवन दर्शन और विशिष्ट कला तकनीक की अद्भुत देन है। इतिहास जिस कालखण्ड को मध्यकाल कहता है, उसी समय की ये कृतियां सौन्दर्य की उत्तम प्रतीक हैं। उन्हें देखना ही सही अर्थों में कुछ बोलना, क्योंकि दृश्य कलाएं नैनों का प्रेम है, जो सीधे हृदय में उतरता है।

षडंग में 'भाव लावण्य योजनम' एक साथ कहा गया है, अर्थात भाव निरूपण में लावण्य योजना का ध्यान रखकर ही कृति बन सकती है। लावण्यता के कई अर्थ है यथा, कांति, श्रीए आथा, दीप्ति, शोभा। सुन्दरता की भारतीय अवधारणा केवल रूप-रंग को मोहक-जादुई सीमा तक नहीं है, बल्कि इतना सब होते हुए भी यदि वह अन्त: दीप्ति से शोभायमान नहीं है तो वह कहीं न कहीं अधूरा है। ये अन्त: दीप्ति आभा कैसी लावण्यता है। यह हृदयंगम वासना रहित भाव है जो किसी निष्काम-निस्वार्थ के चेहरे पर प्रतीत होता है। सौन्दर्य आस्वाद के स्तर से उठकर आंखों की स्वच्छ तरलती सी होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस में बालकाण्ड मे लिखा है-'करत प्रकास फिरई फुलवारी' और 'सुन्दरता कहुं सुन्दर करई। छविगृह दीपसिखा जनु बरई'।।

अर्थात सीता की शोभा, सुन्दरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी प्रतीत होती है मानों सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, जो सीता की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। प्रकृति में रहकर उसकी सुंदरता से आप्लावित होकर वासना में नही बंधना है, बल्कि अहोभाव से अंदर धारण करना

चाहिए। कलाकार में यह वृत्ति, प्रकृति की विराट सत्ता को तटस्थ होकर देखने से उपजती है। प्रकृति हमारी चेतना का केन्द्रीय तत्व है। उसके बिना उद्दीपन प्रवृत्ति भाव का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ही माया है जो अत्यंत रूपशालिनी है, नवीनता धारण करने वाली है। कलाकर्म करना उस माया की अनूठी, परिवर्तनीय सुन्दरता को रेखाओं-रंगों से बांधना है। पर इस नश्वर आंखों में कितना रंग समा पाएगा, क्षरित देह से कितना रूप बांध पाएगा, माया प्रकृति के कितने रसों को चख पाएगा वो भी एक जीवन में क्योंकि अगला जन्म मिले ना मिले। प्रकृति का सौन्दर्य निरन्तर घटते समय का प्रतीक है। जो बदलता रहता है, जबकि मानव रचित सुन्दरता एक स्वरूप में किसी एक गति में होकर स्थिर रहती है। सौन्दर्य चेतना समय सापेक्ष होती है जो समयानुसार नई प्रवृत्तियों में जन्म लेती रहती है। कालानुक्रम की सुविधानुसार हम इसे 'वाद' में बांट देते हैं। विभिन्न देशकाल अनुसार कुछ वृत्तियां प्रमुख हो जाती हैं। ऐसी कला प्रवत्ति उस कालखण्ड विशेष की लावण्यता का प्रतीक बन जाती है, जैसे भारतीय लघु चित्रकला शैली में

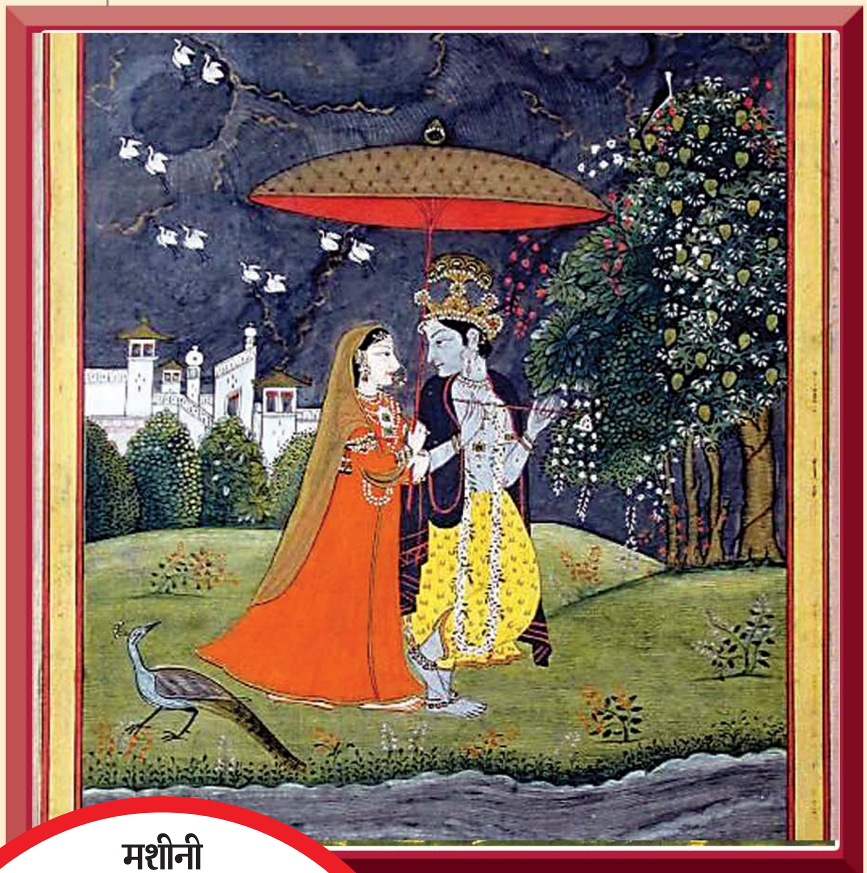

मशीनी प्रगति के दौर में कला ने भी मशीन और विज्ञान के किन्ही सिद्धांतों का तड़का लगाकर चाक्षुष व्यंजना की कई सतहें रच दी हैं। सुन्दरता के मानक केवल सुन्दर सा चेहरा ही नहीं रहा। अब मशीनी तकनीक के उबाल में कलाकारों ने नए लावण्य संवेदना पैदा करने की कोशिश की है...

राधा-कृष्ण का स्वरूप, पत्तियों का गझिन बनाना, कई परिप्रेक्ष्य एक ही सतह पर बनाना। पटना कलम में छोटे-छोटे शबीह चित्र आदि।

भूमंडलीकृत और सूचनाओं के सघन समय में जब हम तेजी से एक-दूसरे के निकट प्रतीत हो रहे हैं, तब ऐसे समय में कला भी तकनीक युक्त हो अधिक जादुई प्रभाव वाली हुई है।

मशीनी प्रगति के दौर में कला ने भी मशीन और विज्ञान के किन्ही सिद्धांतों का तड़का लगाकर चाक्षुष व्यंजना की कई सतहें रच दी हैं। सुन्दरता के मानक केवल सुन्दर सा चेहरा ही नहीं रहा। अब मशीनी तकनीक के उबाल में कलाकारों ने नए लावण्य संवेदना पैदा करने की कोशिश की है।

भारतीय कलाकारों में सुबोध गुप्ता, टीवी संतोष, जीतिष कल्लाट, ए. बाला सुब्रहमन्यम आदि है, जो तकनीक का भी सौन्दर्य रचते हैं। जैफकून्स, अनीस कपूर जैसे विदेशी कलाकारों की कृतियां पर्वताकार होती हैं। नदी पर बना पुल भी इनकी कृति का हिस्सा हो सकता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने उपभोग हेतु वस्तुओं को अधिकाधिक उपयोगी बनाता गया उसी क्रम में कला अभिव्यक्ति और उसके सौन्दर्य दृष्टि में भी बदलाव आया।

समकालीन कला आपको एकाएक भ्रम में डाल सकती है, अर्थहीन लग सकती है। किसी बड़ी अट्टालिका सी लटकती कोई रूपाकार आपको सोचने पर विवश कर सकती है। ग्लोबल समय में हम कितने ही आधुनिक बन नए प्रयोग को कला कह दें, लेकिन मानव मन अपने मन में कोई लघु दीवट बना के उस पर प्रेम का दीया जलाता है। दुनिया सुंदरता के नाम पर हर जगह ठिठक ले किन्तु भारतीय मन तो हमेशा सम पर ही आकर ठहरता है। उसका सौंदर्य तो आंखों भर आकाश है जिसका लिए तमाम उपमाएं वह रचता है।

उपमानों में उसका आराध्य होता है। चाहे वह लोक का अनगढ़ माटी का माधो हो या पढ़े-लिखे रूप साधता मन। क्योंकि सुंदरता यहां केवल रूप नहीं है, केवल रंग नहीं है बल्कि लावण्यता भी जिस सौंदर्य की चेरी हो उस व्यापक प्रकृति के समष्टि भाव से हम भरे रहते हैं, छलके रहते हैं, अहोभाव में लिपटे रहते हैं।

समाप्त हो गए डराने-धमकाने के विशेषाधिकार

❐ प्रताप ललितादित्य

भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 व 35ए हटा दिया और साथ ही राज्य का पुनर्गठन कर इसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक लद्दाख और दूसरा विधान सभा के साथ जम्मू-कश्मीर। सर्वप्रथम तो इस कदम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जितना अभिनंदन किया जाए कम है। यह ऐतिहासिक कदम उठाने का साहस 70 वर्षों में कोई नहीं कर पाया और न ही कोई अन्य ही कर पाता। इस कदम के परिणाम क्या होंगे इससे पहले एक बार इस पर चर्चा कर लें कि अनुच्छेद 370 व 35ए जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेषाधिकार देते थे या किसी और को?

अनुच्छेद 370, 1949 में विशेष परिस्थियों के चलते जम्मू-कश्मीर राज्य के

लिए भारत के संविधान में डाला गया। यह वैसे ही एक अनुच्छेद था जैसा भारतीय संविधान का कोई अन्य अनुच्छेद। यह अस्थायी अनुच्छेद राज्य को कोई विशेष अधिकार नहीं देता था। इसकी की आड़ में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक नया अनुच्छेद 35ए भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 35ए असंवैधानिक तरीके से बिना संसद में पेश किए संविधान में जोड़ा गया। इसे देश से छुपाने के लिए संविधान के मुख्य भाग में अनुच्छेद 35 के बाद डालने के बजाय परिशिष्ट में डाला गया। अनुच्छेद 35ए राज्य की विधानसभा को शक्ति देता था कि वह राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित कर उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यह राज्य के स्थायी निवासियों के अलावा राज्य में या देश में रह रहे सभी अन्य भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता था।

अनुच्छेद 35ए असंवैधानिक तरीके से बिना संसद में पेश किए संविधान में जोड़ा गया। इसे देश से छुपाने के लिए संविधान के मुख्य भाग में अनुच्छेद 35 के बाद डालने के बजाय परिशिष्ट में डाला गया। अनुच्छेद 35ए राज्य की विधानसभा को शक्ति देता था कि वह राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित कर उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यह राज्य के स्थायी निवासियों के अलावा राज्य में या देश में रह रहे सभी अन्य भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता था...

विशेष व्यवस्थाएं, स्थायी निवासियों के लिए थी, इसके बावजूद राज्य किसी भी प्रकार से भारत से भिन्न नहीं था और न ही कोई विशेष राज्य था। लेकिन राज्य में कांग्रेस के साथ 70 वर्षों से राज कर रहे, दो राजनीतिक परिवारों 'अब्दुल्ला और मुफ्ती' और मुट्ठीभर अलगाववादियों ने इसके दम पर भारत को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को 70 साल धमकाया कि हम भारत से अलग हैं, हमारा एहसान मानों कि हम आपके साथ हैं, हमारी हर इच्छा पूरी करोए हमारी हर मांग पर घुटने टेको, हमें राज्य का प्रतिनिधि मान बड़े–बड़े मंच दो और यदि हमें छेड़ा या कुछ भी हमारी इच्छा के बगैर किया तो हम अलग हो जाएंगे। अपने परिवार और धंधे चलाए रखने के लिए यही प्रचार किया कि अनुच्छेद 370 और 35ए को छेड़ना तो दूरए उसकी बात भी की तो हम बारूद उठा लेंगें, राज्य में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर ने तो

यहां तक कह दिया कि अनुच्छेद 370 हटाओगे तो इंशाअल्लाह हम भारत से अलग हो जाएंगे और अपना अलग प्रधानमंत्री लाएंगे।

अनुच्छेद 370 व 35ए या जम्मू-कश्मीर राज्य कोई विशेष नहीं था, बस इसके नाम पर धमकाने वाले यह परिवार और अलगाववादी खुद को विशेष मानने लगे थे। अनुच्छेद 370, 35ए खत्म होने से राज्य के किसी व्यक्ति के विशेषाधिकार समाप्त नहीं हुए, न वो अलग हुए। केवल इन परिवारों और अलगाववादियों के विशेषाधिकार खत्म हो गए, यह राज्य और देश में अलत-थलग पड़ गए। अब ऐसे कुछ 50-100 लोग तिरंगा झंडा न भी उठाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य को कोई विशेषाधिकार थे ही नहीं, जिनको खत्म करना था, यह कुछ लोग थे जो 70 साल भारत को धमकाकर स्वयं को विशेष मान बैठे थे, इनके अहंकार को चूर करना था और यह अनुच्छेद 370, 35ए को हटाए बिना और लद्दाख को इनके चंगुल से छुड़ाए बिना संभव नहीं था।

लद्दाख की 1947 से ही मांग थी कि उसे कश्मीर से अलग किया जाए और केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाए। 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय से ही लद्दाख की जनता भारत के साथ खड़ी रही और दुश्मन का डटकर सामना किया। जम्मू देशभक्तों और राष्ट्रवादियों से भरा हुआ है, वहां हमेशा से ही राष्ट्रवाद हावी रहा और कोई भारत विरोधी हरकत करना तो दूर वहां ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। कश्मीर के अलगाववादियों ने स्वयं आज तक कभी जम्मू आने का साहस नहीं किया। वे या तो श्रीनगर में बोलते थे या दिल्ली में। जम्मू और लद्दाख में उनका प्रभाव तो दूर, वह कभी आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। दोनों राजनीतिक परिवार भी जम्मू में आकर देश भक्त बन जाते थे और कभी कोई भारत विरोधी बात नहीं करते थे। फारूक अब्दुल्ला तो कई बार वैष्णो देवी का भक्त बनकर जागरण में नाच भी लिया करते थे। लेकिन कश्मीर में पहुंचते ही इन सबके स्वर आजादी के आसपास ही रहते थे। जम्मू और लद्दाख को तो इन्होंने हमेशा छला ही, साथ ही सबसे ज्यादा शोषण किसी का किया तो वह कश्मीरी ही था।

कश्मीर में दो प्रकार के लोग हैं, एक सईद, अब्दुल्ला, गिलानी जो कि मूल कश्मीरी नहीं हैं और दूसरा आम कश्मीरी। यह लोग भारत के बाहर से आक्रमण कर कश्मीर पर राज करने की मंशा से आए थे। कश्मीर में यह लोग हमेशा अपने को आम कश्मीरी से ऊपर समझते थे और इन पर राज कर इनसे गुलामों की तरह व्यवहार करते थे। तभी आज तक किसी भी आम कश्मीरी को मुख्यधारा में इन्होंने नहीं आने दिया। कोई भी मूल कश्मीरी मुख्यधारा में ढूंढने से नहीं मिलेगा। आम कश्मीरी सदियों से ही इनसे संघर्ष कर रहा है और इनकी दासता में जी रहा है। इन लोगों ने कश्मीरी से हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया और अपने बच्चे विदेशों में भेज कर कश्मीर के बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए। अनुच्छेद 370 और 35ए के नाम पर गलत कहानियां गढ़, उन्हें अपने जाल में फंसाए रखा। आज सही मायने में लद्दाखए जम्मू और कश्मीर आजाद हुए हैं, इन अवसरवादियों और अलगाववादियों के चंगुल से। अनुच्छेद 370, 35ए हटने और राज्य के पुनर्गठन के बाद अब कोई भी क्षेत्र या व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और भारत के अन्य राज्यों में मिल रही सारी सुविधाओं से अब यहां का निवासी भी वंचित नही रहेगा। स्वयं को सदियों से अलग मानने वाला तबका अब ठेकेदारों के चंगुल से आजाद होकर मुख्यधारा से जुड़ेगा। भ्रष्टाचार से त्रस्त जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जनता ईमानदार, पारदर्शी और सहयोगी प्रशासन देखेगी। कुल मिलाकर यह कदम लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े बदलाव लाएगा और इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं।

कश्मीर में दो प्रकार के लोग हैं, एक सईद, अब्दुल्ला, गिलानी जो कि मूल कश्मीरी नहीं हैं और दूसरा आम कश्मीरी। यह लोग भारत के बाहर से आक्रमण कर कश्मीर पर राज करने की मंशा से आए थे। कश्मीर में यह लोग हमेशा अपने को आम कश्मीरी से ऊपर समझते थे और इन पर राज कर इनसे गुलामों की तरह व्यवहार करते थे। तभी आज तक किसी भी आम कश्मीरी को मुख्यधारा में इन्होंने नहीं आने दिया। कोई भी मूल कश्मीरी मुख्यधारा में ढूंढने से नहीं मिलेगा...

आल्हा ऊदल

जब मीडिया न था तब अल्हैत देते थे ज्ञान

❐ सूर्य प्रकाश

मीडिया की परिभाषा उसके तीन कामों का जिक्र करती है, सूचनाए शिक्षण एवं मनोरंजन। भले ही इस दौर के मीडिया की पैकेजिंग में सूचना और शिक्षण के तत्व कम हुए हैं और मनोरंजन का मसाला ज्यादा है। लेकिन भारत की लोक-कलाएं जनसंचार का वह पक्ष हैं, जो आम लोगों का उनकी बोली में मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि सूचित और शिक्षित भी करती है। भारत में संवाद और संचार की परंपरा मानव सभ्यता के विकास के साथ चलती रही है। धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन साहित्य से लेकर देश के कोने-कोने की लोक-कलाएं संवाद का सशक्त माध्यम रही है।

ऐसा ही एक लोक काव्य है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का आल्हखंड, जिसे जनसामान्य में आल्हा के नाम से जाना जाता है और इसके गवैये अल्हैत कहलाते हैं।

जनसंचार के माध्यम भले ही आज रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और तमाम तकनीकें हों, लेकिन जब ये न थीं, जब गूगल बाबा न थे तो निश्चित तौर पर ऐसी लोक परंपराएं ही आम जन के लिए ज्ञान का स्रोत थी...

जनसंचार के माध्यम भले ही आज रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और तमाम तकनीकें हों, लेकिन जब ये न थीं, जब गूगल बाबा न थे तो निश्चित तौर पर ऐसी लोक परंपराएं ही आम जन के लिए ज्ञान का स्रोत थी। आल्हा काव्य एक तरफ भारतीय लोक का रसपूर्ण मनोरंजन करता है तो दूसरी तरफ जीवन के कठिन पहलुओं को लेकर सहजता से शिक्षित भी करता है।

राजा का दायित्व जनता के प्रति क्या हो, सेना किस प्रकार एकजुट हो, पारिवारिक संबंधों की गरिमा क्या रहे और समाज के प्रति सरोकर क्या हो, जीवन के ऐसे तमाम पक्षों पर आल्हखंड सुरूचिपूर्ण शिक्षण देता है।

आल्हा का कोई एक विधिवत ग्रंथ नहीं है, जैसा रामचरितमानस के साथ है। इसके बावजूद एक बड़े हिंदी क्षेत्र में इसकी लोकप्रियता को रामचरितमानस के बाद दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है।

जगनिक द्वारा रचित 'आल्हखंड' अप्राप्य है। फिर भी लोककंठ में सैकड़ों वर्षों तक यह ऐसा बसा रहा कि 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर रहे अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट ने इसका संकलन कराया। इसके बाद भी कई छिटपुट प्रयास हुए हैं, लेकिन अर्थ सहित पूरा 'आल्हखंड' प्रकाशित नहीं हो सका है। यह अवधी-बुंदेली मिश्रित शैली में है और सिर्फ काव्य रूप में ही है।

1000 साल से लोककंठ में मौजूद

आल्हा का भले ही कोई निश्चित ग्रंथ या भाषा टीका नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में

हिंदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश मूल के इतिहास लेखक ग्रियर्सन ने आल्हा की लोकप्रियता को देखते हुए इसके कई खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। इनमें 'मारू फ्यूड' यानी 'माड़ो की लड़ाई' और 'नाइन लैख चेन' यानी 'नौलखा हार की लड़ाई' जैसे खंड विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं...

यह इतना गहरा उतरा है कि पीढ़ियों रिसते हुए 1000 साल का सफर तय कर चुका है। बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, रुहेली, ब्रज, बघेली, कौरवी और मैथिली समेत लगभग पूरी हिंदी पट्टी में वीर रस के इस अनुपम काव्य की गहरी मान्यता है। हर बोली के अल्हैत यानी आल्हा गाने वाले अपनी शैली में ढाल कर वीररस से लोगों को सराबोर करते हैं। आल्हा के पाठ को पंवाड़ा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में इसका लोक,जीवन पर ऐसा प्रभाव है कि तमाम लोकोक्तियां और कहावतें लोगों को आल्हा से मिलती हैं।

आल्हा सुन विश्व युद्ध में लड़ने गए थे सैनिक

हिन्दी क्षेत्र के लोकमानस में आल्हा कितने गहरे उतरा है और इसका संचार पक्ष कितना सशक्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1914-18 और 1939-45 के पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए छावनियों में इसके कार्यक्रम आयोजित कराए। यही नही लंबे समय तक पुलिस की पासिंग आउट परेड में भी जवानों में वीरता और कर्तव्य-परायणता के लिए आल्हा सुनाया जाता रहा।

अंग्रेजों ने कराया कई खंडों का अनुवाद

भले ही आल्हा हिंदी क्षेत्र की अमूल्य धरोहर है, लेकिन विदेशी विद्वानों ने स्वदेशी लेखकों से पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया था। हिंदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश मूल के इतिहास लेखक ग्रियर्सन ने आल्हा की लोकप्रियता को देखते हुए इसके कई खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था।

इनमें 'मारू फ्यूड' यानी 'माड़ो की लड़ाई' और 'नाइन लैख चेन' यानी 'नौलखा हार की लड़ाई' जैसे खंड विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। यही नहीं, अमेरिकी रिसर्चर डॉ. केरिन शोमर ने तो आल्हा की यशोगाथा की तुलना में यूरोप में ओजस्वी कवि होमर द्वारा रचित इलियड और ओडिसी के समकक्ष स्थान दिया है।

ग्रियर्सन द्वारा 'ब्रह्म का विवाह' खंड का अंग्रेजी अनुवाद 'द ले ऑफ ब्रह्मज मैरिज: एन एपिसोड ऑफ द आल्हखंड' आज भी उपलब्ध है। ग्रियर्सन ने इसकी भूमिका में लिखा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक आल्हा से अधिक कोई भी कहानी जनमानस में लोकप्रिय नहीं है।

गांवों की चौपारों से निकल यूट्यूब तक पहुंचा आल्हा

आल्हा मूल रूप से बुंदेलखंड की धरोहर है, लेकिन हिंदी पट्टी के हर क्षेत्र ने इसे अपनी शैली में ही इस तरह से अपना लिया है कि यह लोक जीवन का अंग बन गया है। आम मान्यता है कि गंगा दशहरा से लेकर दशहरे तक यानी बरसात के मौसम में इसका गायन किया जाता है। इसके लिए कहा भी जाता है कि

'भरी दुपहरी सरवन गाइयए सोरठ गाइये आधी रात।
आल्हा पंवाड़ा वा दिन गाइयए जा दिन झड़ी लगे बरसात।'

गायन की एक नई शैली बना आल्हा

बदले सामाजिक जीवन में लोगों की बढ़ती व्यस्तता और ग्रामीण जीवन पर असर के चलते गांवों की चौपारों में अब इनका आयोजन इक्के-दुक्के ही होता है, लेकिन तकनीक के युग में यह मोबाइल और यूट्यूब तक भी अपनी पहुंच बना चुका है। संगीत के क्षेत्र में भी आल्हा की शैली का इन दिनों जमकर इस्तेमाल हो रहा है। कई भजनों से लेकर फिल्म 'मंगल पांडे' के गीत 'मंगल-मंगल' में भी इसकी शैली का इस्तेमाल किया गया है।

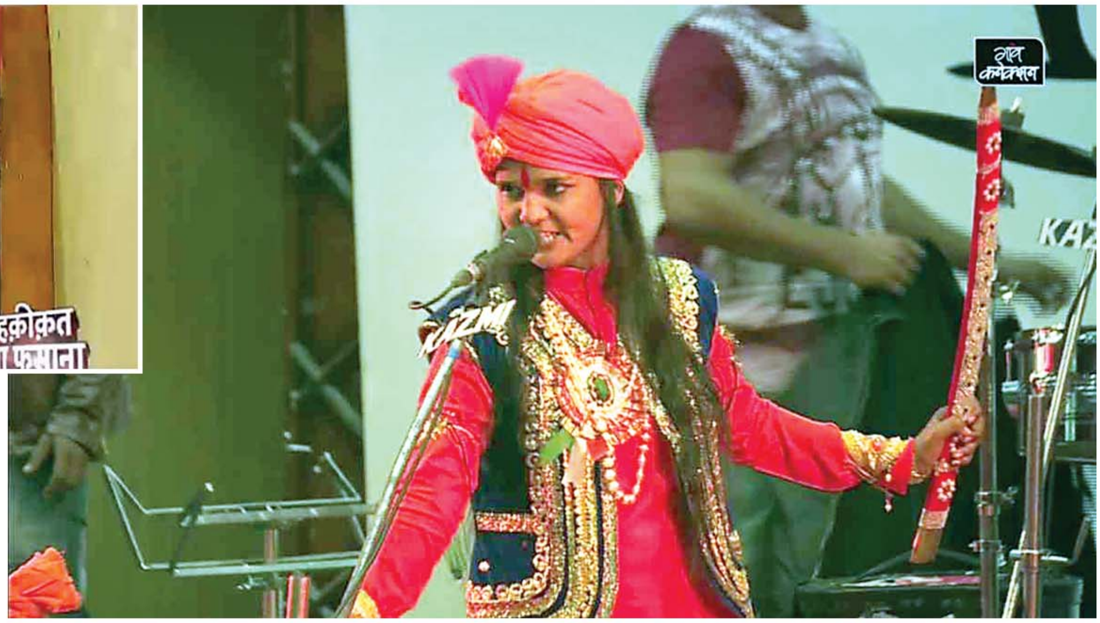

जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाते हैं अल्हैत

आल्हा की शैली और शब्दों की यह विशेषता है कि इसे आम लोग भी बेहद आसानी से समझ लेते हैं और रस लेते हैं। यही नहीं, बेहद सरल शैली में आल्हा गाने वाले यानी अल्हैत पंवाड़े के बीच में ही जीवन के कई गूढ़ पहलुओं को सरल शब्दों में सामने रखते हैं। जैसे, 'राम बनइहैं तो बन जइहैं, बिगरी बात बनत बन जाय।' यह पंक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखने की सीख देती है।

कर्त्तव्य पर डटे रहने का संदेश देते हुए अल्हैत कहता है– 'पांव पिछारे हम न धरिहैं, चाहे प्राण रहैं कि जायें।'

पुत्र के समर्थ होने से माता-पिता को किस प्रकार सहारा मिलता है। इस पर आल्हा की यह एक पंक्ति सार्थकता से अपनी बात कहती है– 'जिनके लड़िका समरथ हुइगे, उनका कौन पड़ी परवाह'

स्वामी तथा मित्र के लिए कुर्बानी दे देना सहज मानवीय गुण बताए गए हैं, 'जहां पसीना गिरै तुम्हारा, तंह दै देऊं रक्त की धार'

अपने बैरी से बदला लेना सबसे अहम बात माना गया है, 'जिनके बैरी सम्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार।'

आल्हा की शैली और शब्दों की यह विशेषता है कि इसे आम लोग भी बेहद आसानी से समझ लेते हैं और रस लेते हैं। यही नहीं, बेहद सरल शैली में आल्हा गाने वाले यानी अल्हैत पंवाड़े के बीच में ही जीवन के कई गूढ़ पहलुओं को सरल शब्दों में सामने रखते हैं...

सामाजिक समरसता का संदेश देते अल्हैत

आल्हा और ऊदल का स्तुतिगान भले ही योद्धा के तौर पर किया गया है, लेकिन जातियों से परे समूचे समाज के लिए आल्हा का नायक होना शायद इसलिए भी संभव हो पाया है, क्योंकि वे शिवाजी सरीखे समावेशी सेनापति थे। जैसे महाराष्ट्र समेत देश भर में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के चलते जननायक बने शिवाजी के राज्य और सेना में सभी वर्गों को महत्त्व था, वैसी ही नीति महाबलि आल्हा की भी थी। 'आल्ह खंड' के मुताबिक, उनकी सेना में लला तमोली, धनुवा तेली, रूपन बारी, चंदर बढ़ई, हल्लाए देबा पेडित जैसे लोग सेना के मार्गदर्शक थे। आल्हखंड की पंक्तियां इसका प्रमाण हैं, जो सामाजिक समरसता का संदेश देती हैं–

'मदन गड़रिया धन्ना गूलर आगे बढ़े वीर सुलखान,
रूपन बारी खुनखुन तेली इनके आगे बचे न प्रान।
लला तमोली धनुवां तेली रन में कबहुं न मानी हार,
भगे सिपाही गढ़ माड़ौ के अपनी छोड़.छोड़ तलवार।।'

बुंदेली कवि जगनिक ने 'आल्ह खंड' की रचना कर भारतीय समाज को उस दौर में वीरता की गाथा सुनाई, जब देश चहुं ओर विदेशी आक्रमण झेल रहा था। जगनिक की इस काव्य रचना का यही असर था कि विश्व युद्ध की छावनियों से निकल समर में उतरने के लिए इसने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। आज भी यह काव्य वीरता, जीवटता, सामाजिक समरसता और मानवीय गुणों का संदेश देता है। भारत के वाचाल समाज में लोककलाओं के महत्त्व को आल्ह खंड के अध्ययन से बखूबी समझा जा सकता है।

मीडिया नार्सिसिज्म

> **नार्सिसिज्म से ग्रस्त व्यक्ति अपने जहन में खुद के प्रति कई ऐसे भ्रम पाल लेता है, जिससे वह वास्तविकता के धरातल से कट जाता है। उसे लगता है कि उसके इर्द-गिर्द का संसार उसके होने से ही है, अन्यथा वह संसार न जाने कैसे सही दिशा में बढ़ पाएगे। नार्सिसिज्म से ग्रस्त व्यक्ति में सामान्य तौर पर कुछेक लक्षण नजर आ जाते हैं...**

❐ **रविंद्र सिंह भड़वाल**

मीडिया नार्सिसिज्म को एक टर्म के रूप में समझने से पहले मीडिया और नार्सिज्म को अलग-अलग समझना होगा। मीडिया के अंतर्गत संचार के वे सभी माध्यम आते हैं, जो समाचार, मनोरंजन और शिक्षा संबंधित संदेश संप्रेषित करने में उपयोग होते हैं। इस उद्देश्य से मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रारूप प्रचलन में हैं। वहीं, नार्सिसिज्म शब्द मूलत: मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित है, जिसका उपयोग सिगमंड फ्रॉयड ने पहली बार 1912 में नार्सिसिज्म पर लिखे एक निबंध में किया था। नार्सिसिज्म दिमाग में चलने वाला एक ऐसा प्रयास होता है, जिसमें कोई व्यक्ति खुद को आदर्शवाद के सर्वोच्च आसन पर विराजित करके आत्म-सम्मोहन की एक अजीबोगरीब दुनिया में जीने लगता है। नार्सिसिज्म से ग्रस्त व्यक्ति अपने जहन में खुद के प्रति कई ऐसे भ्रम पाल लेता है, जिससे वह वास्तविकता के धरातल से कट जाता है। उसे लगता है कि उसके इर्द-गिर्द का संसार उसके होने से ही है, अन्यथा वह संसार न जाने कैसे सही दिशा में बढ़ पाएगे। नार्सिसिज्म से ग्रस्त व्यक्ति में सामान्य तौर पर कुछेक लक्षण नजर आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ही ख्यालों में या सार्वजनिक तौर पर हमेशा खुद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। इस दौरान वह दूसरों को नीचा दिखाने से भी परहेज नहीं करता। इससे प्रभावित व्यक्ति खुद पर हद दर्जे के या यूं कहें मूर्खतापूर्ण गर्व की अनुभूति महसूस करने लगता है। रोगी व्यक्ति अपनी क्षमताओं के प्रति अव्यावहारिक दावे करने शुरू कर देता है। खुद की मिथ्या प्रशंसा करना एक सामान्य सी आदत बन जाती है।

इसके बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जिसमें वह पूर्णतावाद का शिकार बन जाता है। वह हर काम और हर व्यक्ति से परफेक्शनिज्म की अपेक्षा करने लगता है। उससे कम के लिए वह कभी तैयार नहीं होता और जब उसकी ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तो दूसरों की आलोचना में डट जाता है। उसमें लगातार असुरक्षा की भावना घर करती जाती है। वह अपने प्रतियोगियों में जैसे-तैसे हमेशा आगे ही बना रहना चाहता है, जिसके लिए वह कई तरह के उल्टे-सीधे हथकंडे अपनाता है। सबसे घातक स्थिति तो तब उत्पन्न होती है, जब नार्सिसिज्म से ग्रस्त व्यक्ति में असहिष्णुता की भावना स्थान लेने लगती है। लिहाजा जब तक चीजें उनके पक्ष में होंगी, तो वे एकदम से सहज रहेंगे। जैसे ही दूसरे ने किसी विषय में उनसे असहमति जता दी, तो वे उसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर पाते। इससे होने वाले टकराव में दोनों पक्षों को बड़ी क्षति झेलनी पड़ती रही है। इस प्रकार मीडिया नार्सिसिज्म का अर्थ हुआ मीडिया जगत से जुड़े ऐसे लोग तो आत्म-सम्मोहन की दुनिया में मग्न रहते हैं। मीडिया जगत में भी ऐसे लोगों का एक बड़ा तबका है, जो खुद को मीडिया जगत के सर्वोच्च पायदान पर काबिज होने का भ्रम पाले हुए है और यदा-कदा अपनी इन खुशफहमियों की सार्वजनिक तौर पर अभिव्यक्ति भी करता रहता है। वे तमाम लोग इस मुगालते में जी रहे हैं कि भारतीय मीडिया के संचालन का सारा बोझ वे अपने कंधों पर ढो रहे हों, लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं रहता कि उनकी तरह ही मीडिया क्षेत्र में और भी कई लोग सक्रिय हैं। दूसरे पत्रकार भी मीडिया दायित्वों और मूल्यों का उतनी ही शिद्दत के साथ निर्वहन कर रहे हैं। वे भी भारतीय लोकतंत्र के चैथे स्तंभ का उतना ही हिस्सा हैं, जितना वे खुद हैं। लेकिन नार्सिसिज्म से ग्रस्त मीडिया के ये लोग इस क्षेत्र के दूसरे लोगों को पचा ही नहीं पाते। इस स्थिति का सबसे बड़ा संकट तो यह है कि इसमें व्यक्ति खुद को पूर्ण मानने लगता है और उसके व्यक्तिगत विकास की सारी संभावनाओं पर एक तरह से पूर्ण विराम सा लग जाता है। इससे उसकी व्यक्तिगत और संपूर्ण पत्रकारिता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के पाठक या दर्शक

मीडिया नार्सिसिज्म से ग्रस्त पत्रकारों से अनभिज्ञ हों। पूछे जाने पर वे कई ऐसे पत्रकारों के नाम गिना देंगे, जो अपनी बातों या व्यक्तिगत हरकतों से खुद को बड़ा पत्रकार साबित करने की हरसंभव कोशिश करते रहे हैं। इस तरह से मीडिया नार्सिसिज्म भारतीय पत्रकारिता के लिए एक चिंताजनक विषय बन चुका है। अगर मीडियाकर्मियों को इस तरह से नार्सिसिज्म ने अपनी जकड़न में ले लिया, तो एक समय मूल्यों और सिद्धांतों पर आश्रित पत्रकारिता का इससे दम घुटने लगेगा। लिहाजा मीडिया क्षेत्र में सेवारत हर पत्रकार को फुर्सत के पलों में निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी के साथ आत्म-मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि कहीं वह तो मीडिया नार्सिसिज्म नाम के इस रोग से पीड़ित तो नहीं। अगर किसी को खुद में वे लक्षण नजर आएंए तो लाइलाज बीमारी बनने से पहले इसका उपचार कर लेना चाहिए। यही भारतीय पत्रकारिता के लिए भी बेहतर होगा।

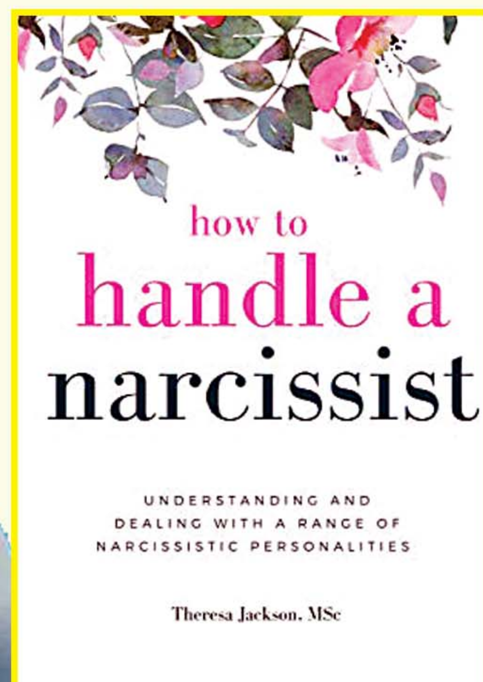

विज्ञापन के सहारे पाकिस्तान

❒ जयेश मटियाल

5 अगस्त, 2019 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, तो पाकिस्तान का मानो कुछ औचित्य ही न रहा। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख, दो केन्द्र शासित प्रदेश बनने के साथ, पाकिस्तान ने मानवाधिकार उल्लंघन, अल्पसंख्यक अत्याचार, सेकुलरिज्म इत्यादि का राग, रात-दिन अलापना शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से लेकर विभिन्न इस्लामिक व अन्य देशों के समक्ष रखने की पुरजोर कोशिश की, मगर यहां पाकिस्तान की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान को यदि कुछ राहत मिली तो वह विदेशी मीडिया से, भले ही वह प्रोपगेंडा आधारित खबरों और भ्रामक विज्ञापन के द्वारा ही सही। हालांकि यह हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि विदेशी मीडिया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की नकारात्मक छवि बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसका ताजा उदाहरण दि न्यूयार्क टाइम्स अखबार में 27 सितम्बर को पूरे पेज पर प्रकाशित

कश्मीर आधारित एक विज्ञापन है। अप्रत्यक्ष रूप से पाक समर्थित यह विज्ञापन तथ्यात्मक रूप से पूर्णत: गलत और भ्रामक है, जिसके सहारे पाकिस्तान ने पूरे विश्व में कश्मीर का रोना रोया।

यह विज्ञापन इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं और इस्लामिक संगठन व देश, इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्षकार नहीं रहे। अपने बुरे दौर से गुजर रहा पाकिस्तान, जहां अराजकता, अंदरूनी कलह, बेरोजगारी, कर्जदारी, कमजोर अर्थव्यवस्था के चलते कोई ठोस कदम उठाने की क्षमता न होने के कारण पाक को अब भ्रामक विज्ञापनों व खबरों का ही सहारा है। जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश में लगा है कि वह लड़ रहा है।

प्रत्यक्ष रूप से यह विज्ञापन इन्टरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउन्डेशन द्वारा प्रायोजित था। जो मुख्य रूप से केन्या, इंडोनेशिया और थाईलैंड में काम करती है। यह वही फाउन्डेशन है, जो पहले भी भारत के खिलाफ मुहिम चला चुकी है।

हाउडी मोदी कार्यक्रम के समय 22 सितंबर को अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने के विरोध में, हॉस्टन के एनआरजी स्टेडियम में, भारत विरोधी विज्ञापन व अभियान के मुख्य आयोजक के रूप में, यह संस्था सामने आई थी। विज्ञापन के माध्यम से कश्मीर रैली के नाम पर 'गो बैक मोदी' स्लोगन का खूब प्रचार-प्रसार किया गया। इस तरह के विज्ञापन दर्शाते हैं कि पाकिस्तान जो हर बात पर परमाणु बम की धमकी देता रहता था, आज इस कदर स्वयं को सांत्वना दे रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से, विज्ञापनों के जरिए लड़ाई लड़ रहा है।

चूंकि जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत हमेशा

यह विज्ञापन इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं और इस्लामिक संगठन व देश, इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्षकार नहीं रहे...

विदेशी मीडिया ने अपने एजेंडे के तहत भारत की नकारात्मक छवि बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर पर, पूरे विश्व को भ्रमित करने की भरपूर कोशिश की है। दि गार्डियन बताता है कि जम्मू-कश्मीर पर फैसला संविधान के तहत नहीं बल्कि इरादे और विचारधारा के द्वारा दिया गया एक बयान है...

से स्पष्ट रहा है कि यह हमारा आंतरिक मामला है, और किसी भी देश को इस पर हस्तक्षेप करने का न तो किसी प्रकार का कोई अधिकार है और न ही आवश्यकता। इसीलिए पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से भारत पर किसी तरह का दबाव बना पाने में असफल रहा है, मजबूरन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशी मीडिया की तरफ रुख अपनाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का हरसंभव प्रयास किया है। दि न्यूयॉर्क टाइम्स में 30 अगस्त को इमरान खान का प्रकाशित लेख इस बात का एक उदाहरण मात्र है। जिसमें जम्मू–कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, व स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए, भारत से शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप की कोशिश, जैसी खोखली बातों का जिक्र किया गया है।

विदेशी मीडिया ने अपने एजेंडे के तहत भारत की नकारात्मक छवि बनाने के लिए जम्मू–कश्मीर पर, पूरे विश्व को भ्रमित करने की भरपूर कोशिश की है। दि गार्डियन बताता है कि जम्मू–कश्मीर पर फैसला संविधान के तहत नहीं बल्कि इरादे और विचारधारा के द्वारा दिया गया एक बयान है। वहीं दि न्यूयॉर्क टाइम्स इसे कश्मीर की स्वायत्तता मिटाना बताता है। अलजजीरा इस फैसले के दिन को काला दिन मानता है। यही रुख बीबीसी ने भी अपनाया। यह वही विदेशी मीडिया है जो, पाक समर्थित आतंकवाद से ग्रसित भारत, बलोचिस्तान पर हो रहे अत्याचार, उईघर मुस्लिमों के चीनीकरण पर चुप्पी साध के बैठा रहता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब विदेशी मीडिया ने भारत के प्रति पूर्वाग्रह और पक्षपाती रुख न अपनाया हो। भारत के विरुद्ध इस तरह के कुकृत्य, विदेशी मीडिया की कुंठा को साफतौर पर दर्शाता है।

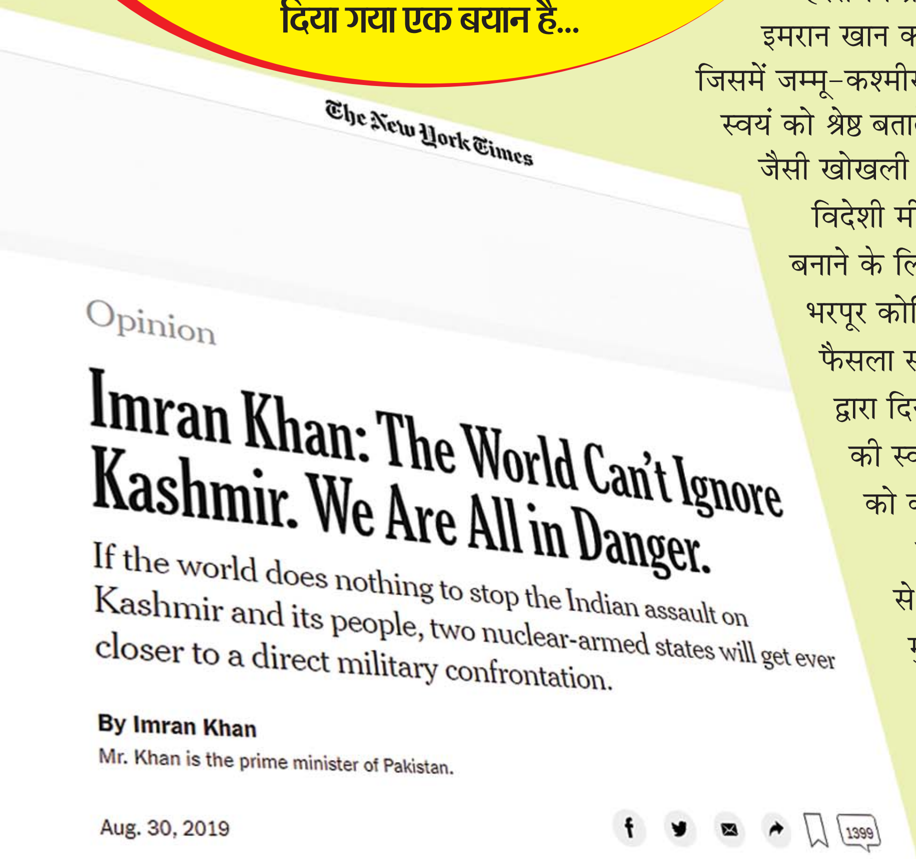
The New York Times

Opinion

Imran Khan: The World Can't Ignore Kashmir. We Are All in Danger.

If the world does nothing to stop the Indian assault on Kashmir and its people, two nuclear-armed states will get ever closer to a direct military confrontation.

By Imran Khan

Mr. Khan is the prime minister of Pakistan.

Aug. 30, 2019

India's settler-colonial project in Kashmir takes a disturbing turn

Leading fashio

ALJAZEERA News AJ Impact Documentaries Shows Investigations Opinion In Pictures

NEWS / INDIA

'Darkest day': Uproar as India strips Kashmir of special status

Indian opposition, Kashmiri leaders and activists condemn government's decision to scrap Article 370 of constitution.

India Revokes Kashmir's Special Status, Raising Fears of Unrest

INDEPENDENT

From India's perspective, the conundrum of Kashmir has been resolved – but in reality, the worst yet to come

डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई

हाल ही में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी बैठक में मीडिया क्षेत्र से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया गया। बैठक के बाद केन्द्रीय पीयूष गोयल ने डिजिटल मीडिया में 26 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने की बात कही। सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया कि यह मीडिया का सुझाव था कि डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी हो। इसी के चलते यह प्रगतिशील कदम उठाया गया। इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश से इस क्षेत्र के विस्तार के साथ नौकरी के नए अवसर भी आएंगे। प्रिंट मीडिया में पहले से ही 26 फीसदी एफडीआई की अनुमति है और 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति ब्रॉड कास्टिंग कंटेंट सर्विस को लेकर है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट यूजर्स के बढ़ते बड़े आधार के साथ देश में डिजिटल मीडिया 2019 में मनोरंजन क्षेत्र से आगे निकलने और 2021 तक प्रिंट से आगे निकलकर 5.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिकए 2018 में डिजिटल मीडिया में 42 फीसद की वृद्धि हुई, जिसका मूल्य 2.4 बिलियन डॉलर था।

एक न्यज चैनल से बात करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई मंजूर किया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में भी 26 फीसदी एफडीआई स्वीकार्य है। डिजिटल मीडिया भी प्रिंट मीडिया की तरह काम करता है। जबकि कई प्रतिक्रियाएं इस फैसले के खिलाफ भी आई हैं। मीडिया एक्सपर्ट निखिल पाहवा का कहना है, डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई लिमिट से इंटरनेट मीडिया की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट की गई है। अब कई वेब पोर्टल को अपनी फॉरेन होल्डिंग कम करनी पड़ेंगी। इंटरनेट को लेकर हमेशा से यह सवाल रहा है कि वो प्रिंट है, टीवी है या रेडियो है, इंटरनेट पर कंटेंट क्रिएशन की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी।

डिजिटल मीडिया के अलावा सरकार प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार करती रही है। फिलहाल यह सीमा 26 प्रतिशत है। अभी समाचार पत्रों तथा समाचार एवं करेंट अफेयर्स वाली पत्रिकाओं के प्रकाशन पर 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। इस बदलाव के पक्ष में बोलने वाले समर्थकों का मानना है कि पश्चिमी दुनिया में पिछले कुछ सालों में प्रिंट मीडिया क्षेत्र में गिरावट आई है, भारत में पिछले कुछ दशकों में यह काफी तेजी से बढ़ा है। आगामी सालों में इसमें वृद्धि की संभावनाएं व्यापक हैं। इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए मीडिया कंपनियों को धन अंतर प्रवाह की जरूरत है, ताकि वे अपने परिचालन का विस्तार कर सकें। इस संदर्भ में प्रिंट मीडिया में एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किए जाने की जरूरत है।

दुर्भावना से प्रेरित ट्वीट पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति को नोटिस

जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए घाटी का माहौल खराब करने की कई पक्षों के द्वारा कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान लगातर बेतुकी बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों के जरिए अपने मानसिक दिवालियेपन को जाहिर करता रहा है। इसी क्रम में में एक

कोशिश पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने भी अपने नाम से दर्ज करवा ली। आरिफ अल्वी ने विदेशी मीडिया के एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर के कथित हालात को दिखाया गया था।

इस पर ट्विटर ने अल्वी को नोटिस भेज दिया, जिसमें सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उनके अकाउंट पर कश्मीर के हालात को दर्शाने के संबंध में शिकायत मिली है। ट्विटर ने राष्ट्रपति अल्वी को इस संबंध में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नोटिस दिए जाने का वहां विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन माजरी ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विटर भी भारत की मोदी सरकार का मुखपत्र बन गया है। ट्विटर ने हमारे राष्ट्रपति को नोटिस भेजा है! यह बेहद हास्यापद है।

दूरसंचार मंत्री मुराद सईद ने रविवार को कहा कि उन्हें माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट से नोटिस मिला है कि उनके ट्वीट ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है।

जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई वह हैरानी वाली है

— जस्टिस सारंग कोतवाल

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चली सुनवाई में मीडिया द्वारा गलत रिपोर्टिंग का मामला सामने आया है। इससे जहां एक तरफ मीडिया की छवि धूमिल हुई है, तो वहीं इसने मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सारंग कोतवाल को भी गहरा आघात हुआ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वेरनॉन गोंजाल्विस पर सवाल दागे हैं। हाई कोर्ट ने वेरनॉन गोंजाल्विस से पूछा कि आखिर आपने 'वॉर एंड पीस' समेत कई आपत्तिजनक सामग्री अपने पास क्यों रखी, गोंजाल्विस की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि आपके पास से बरामद किताबों और सीडी से पहली नजर में लग रहा है कि आप प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा हैं। इन किताबों से यह संकेत भी मिलते हैं कि आप राज्य के खिलाफ कुछ सामग्री रखते थे।

कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लोगों ने बिना टिप्पणी का सही अर्थ समझे अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से व्याख्याएं करनी शुरू कर दी थीं।

अब इस पूरे मामले में सफाई आई है। दरअसल जिस 'वॉर एंड पीस' का कोर्ट ने जिक्र किया वो लियो टॉलस्टॉय की नहीं थी। वो किताब बिश्वजीत रॉय की 'वॉर एंड पीस इन जंगलमहल: पीपुल, स्टेट एंड माओइस्ट' है। इस किताब में वामपंथ से जुड़े कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और मध्यस्थों के ऐसे निबंध हैं, जिसमें सरकार की विकासवादी नीतियों, संसदीय दलों का विरोध और माओवादियों की गुंडागर्दी के संदर्भ में विफल शांति पहलों का जिक्र है।

वेरनॉन गोंजाल्विस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील युग चैधरी ने अदालत को बताया कि अखबार ने गलत सूचना दी है कि वह लियो टॉलस्टॉय की किताब वॉर एंड पीस थी।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंचनामा में जिस किताब का जिक्र किया गया और जज ने जिसे पढ़ा वह बिश्वजीत रॉय की वार एंड पीस इन जंगलमहल : पीपुल, स्टेट एंड माओइस्ट थी। इस पर जस्टिस सारंग कोतवाल ने सहमति जताते हुए कहा कि जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई वह हैरानी वाली है। मैं हैरान हूं।

इस मामले में तंज कसते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कह दिया था, 'वास्तव में अजीब है कि बांबे हाई कोर्ट के एक जज द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि वह स्पष्टीकरण दे कि उसके पास टॉल्सटाय की वार एंड पीस की प्रति क्यों है, वास्तविक उत्कृष्ट कृति। और सोचिए महात्मा पर टॉल्सटाय का गहरा प्रभाव था। नए भारत में स्वागत है!'

बॉम्बे हाई कोर्ट में भीमा कोरेगांव मामले की सुनवाई के दौरान वॉर एंड पीस उपन्यास बहस का अहम हिस्सा बन गया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया कि गोन्जाल्विस के घर पर छापेमारी के दौरान बरामद बेहद भड़काऊ सबूतों में से वॉर एंड पीस किताब भी एक है।

पुलिस ने वेरनॉन गोन्जाल्विस के मुंबई स्थित घर से जिन किताबों और सीडी को जब्त किया गया, उनमें वॉर एंड पीस के अलावा कबीर कला मंच की सीडी राज्य दमन विरोधी, मार्क्सिस्ट आर्काइव्स, जय भीमा कामरेड, अंडरस्टैंडिंग माओइस्ट, आरसीपी रीव्यू के अलावा नेशनल स्टडी सर्किल द्वारा जारी परिपत्र की प्रतियां भी शामिल हैं। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन किताबों और सीडी का जिक्र किया गया।

पुलिस ने दावा किया था कि 31 दिसंबर, 2017 को भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसकी वजह से अगले दिन पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव गांव के आसपास जातीय हिंसा भड़की थी। भीमा-कोरेगांव की लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस इस आयोजन के कथित तौर पर नक्सली कनेक्शन जुड़े होने की जांच कर रही है।

प्रणब मुखर्जी की विदेशी मीडिया को नसीहत

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विदेशी मीडिया को भारत की तस्वीर पेश करने से पहले सलाह देते हुए कहा कि पहले खुद देश में घूमें, लोगों से मिलें और खुद की नजर से चीजों को देखने के बाद भारत की तस्वीर पेश करें। विदेशी पत्रकारों को कलिंगा-एफसीसी पुरस्कार से सम्मानित करने से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका प्रहरी की है। उसे समाज के सिर्फ अच्छे-बुरे पक्ष को ही नहीं पेश करना चाहिए, बल्कि सकारात्मक बदलावों को भी जगह देनी चाहिए। मुखर्जी ने कहा, ,मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप हमारे देश में घूमने, लोगों से मिलने और खुद चीजों को देखने के बाद भारत की एक तस्वीर पेश करें, जो आपके जरिये ही दुनिया के सामने आती है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को खबरों में सकारात्मक चीजों का भी उल्लेख करना चाहिए। इस दौरान मुखर्जी ने वैश्विक मीडिया के लिए भारत और दक्षिण एशिया पर रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया पेशेवरों को सम्मानित किया। दक्षिण एशिया के विदेशी संवाददाताओं के क्लब (फॉरेन कॉरेस्पांडेंट क्लब) में 700 से अधिक पत्रकार हैं। उनमें से अधिकांश विदेशी मीडिया संगठनों के लिए काम करते हैं। अपने भाषण में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चैथा स्तंभ है। इसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां ह, क्योंकि यह अन्य तीन स्तंभों कार्यकारी, न्यायपालिका और विधायिका को जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। मीडिया जनता और लोक सेवकों के बीच मध्यस्थता का भी काम करता है। इसके पास जनता की राय को आकार देने की शक्ति है। इसमें सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने की भी शक्ति है, लेकिन यह यह भी सुनिश्चित करें कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। उनकी यह टिप्पणी कश्मीर के हालात पर हो रही मीडिया कवरेज पर बहस की पृष्ठभूमि से जुड़ी थी, जहां अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद आंदोलन और संचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि मुखर्जी ने अपने भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय की 'पीत पत्रकारिता' से बचने की सलाह

गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के खिलाफ आपत्तिजनक खबर छापने वाले न्यूज पोर्टल, वायर के संपादक और पत्रकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलेगा। मानहानि के केस को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को आरोपियों ने वापस ले लिया है। खबर छापने के तरीके पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि मीडिया को 'पीत पत्रकारिता' से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता है, लेकिन यह इकतरफा नहीं होना चाहिए।

लगभग डेढ़ साल तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के बाद मानहानि के केस को निरस्त करने वाली याचिका को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन तीखी नाराजगी जताने से नहीं चूकी। बेंच में जस्टिस बीआर शाह और जस्टिस एमआर गवई भी शामिल थे। जय शाह को स्पष्टीकरण के लिए केवल चार-पांच घंटे का समय देने और बिना स्पष्टीकरण के ही खबर छाप देने पर सवाल उठाते हुए अदालत ने पूछा कि यह किस तरह की पत्रकारिता है। न्यायपालिका के बारे में कुछ न्यूज पोर्टल पर छपने वाली खबरों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे हम भी पीड़ित रहे हैं।

वायर ने गुजरात चुनाव के पहले 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जय शाह की एक कंपनी में कई गुना ज्यादा लेन-देन की खबर प्रकाशित की थी। खबर को इस तरह पेश किया गया था कि जय शाह की कंपनी को सरकार बनने के बाद अनुचित लाभ मिला हो। जय शाह ने खबर छापने वाले न्यूज पोर्टल, उसके संस्थापक संपादकों, प्रबंध संपादक, लोक संपादक, खबर लिखने वाली पत्रकार के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया था। अदालत में शुरुआती सुनवाई में आरोपों को सही पाते हुए केस चलाने का फैसला किया था। लेकिन इससे बचने के लिए सभी आरोपियों ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस को रद्द की गुहार लगाई थी। अहमदाबाद हाई कोर्ट में मानहानि के आरोपों को सही मानते हुए केस चलाने की इजाजत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब याचिका वापस लेने के बाद उनके खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

– संकलन : रविंद्र सिंह भड़वाल